भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2512

15 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2512. श्री उपेन्द्र सिंह रावत:
श्री विजय कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और बिहार के गया जिले में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार के गया जिले सहित देश में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने में विलंब, यदि कोई है, के क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, किसी भी राज्य में इस्पात संयंत्रों की स्थापना संबंधी निर्णय संबंधित इस्पात कंपनियों/निवेशकों द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार के कारकों के आधार पर लिए जाते हैं। देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है।

जैसा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी)-2017 में परिकल्पित है, 300 मिलियन टन की क्षमता को प्राप्त करने के लिए आईएसपी और अन्य इस्पात संयंत्रों द्वारा क्षमता संवर्धन पर विचार किया जा रहा है, परंतु नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख)और(ग): (क) के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

*****